वकील ... 5/10/2023 ... पेश हो

पूरण मल बनाम भूमिधारी

023 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में दर्ज भूमियों ख.न. 107, 108, 118 में प्रार्थी के पिता भगवाना 1/4 हिस्से का खातेदार है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम भगवानाराम पुत्र नारायण है। उक्त भूमियो प्रार्थी के पिता को विरासत से प्राप्त हुई है। घर परिवार पर प्रार्थी के पिता को भागाराम के नाम से भी बोला जाता था इस कारण विरासत के ना0क0 में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से भागाराम पुत्र नारायण अंकित हो गया। मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, टी.सी. माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किया है जिन सभी दस्तावेजो में प्रार्थी के पिता का नाम भगवानाराम है। तहसीलदार जी ने भी जबाब पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं प्रार्थी के पिता का नाम भागाराम के स्थान पर भगवानाराम दुरूस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेज जबाब तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 107, 108, 118 किता 3 रकबा 3.36 है. में 1/4 हिस्से का खातेदार भागूराम पुत्र नारायण दर्ज है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, टी.सी. माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम भगवानाराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत ने भी भगवानाराम उर्फ भागुराम पुत्र नारायण एक ही व्यक्ति होना बताया है। इससे यही जाहिर होता है कि विरासत के ना0क0 के समय प्रार्थी के पिता का नाम भगवानाराम के स्थान पर भागुराम घर परिवार में बोलता नाम दर्ज हुआ है जो दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैः—

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
गांवड़ी	खाता सं. 31	भागुराम पुत्र नारायण	भगवाना उर्फ ... पुत्र नारायण

शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहसील ... पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2024.11.30 14:01:0
Reason: SelfAttested